भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4005
उत्तर देने की तारीख 12 दिसम्बर, 2019
21 अग्रहायण, 1941 (शक)

भारतीय थ्रोबॉल महासंघ

4005. श्री टी॰ आर॰ वी॰ एस॰ रमेशः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उस महासंघ का ब्यौरा क्या है जो वर्तमान में भारत में थ्रोबॉल खेल का वास्तविक प्रतिनिधि है;

(ख) क्या भारतीय थ्रोबॉल महासंघ, बेंगलुरु की मान्यता कभी निलंबित या रद्द की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्तावित निलंबन के खिलाफ अभ्यावेदन करने का अधिकार महासंघ को दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या न्यायालय द्वारा मंत्रालय को भारतीय थ्रोबॉल महासंघ, बेंगलुरु की मान्यता समाप्त करने या भारतीय थ्रोबॉल महासंघ, दिल्ली को मान्यता देने का निर्देश देने वाला कोई अनिवार्य व्यादेश जारी किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या भारत में किसी न्यायालय द्वारा कभी भी मंत्रालय को भारतीय थ्रोबॉल महासंघ को अनुदान या वित्तीय सहायता प्रदान करने से रोकने के लिए कोई निषेधात्मक या स्थायी व्यादेश जारी किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीएफआई), बेंगलुरु में सोसाइटी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत, को सरकार द्वारा 1989 में मान्यता प्रदान की गई थी । इसे मान्यता प्रदान करने से ही हरियाणा में पंजीकृत एक अन्य समूह ने परिसंघ के वास्तविक पदाधिकारी होने का दावा करते हुए अपने अभ्यावेदन दिए हैं । इस विवाद के कारण इस मंत्रालय ने फरवरी, 2008 से परिसंघ को वित्तीय सहायता प्रदान करना बंद कर दिया । इस मंत्रालय ने वर्ष 2010 से राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वार्षिक मान्यता प्रदान करनी आरंभ की मंत्रालय ने चल

रहे विवादों के कारण तब से थ्रोबॉल खेल विधा के लिए किसी खेल परिसंघ को मान्यता प्रदान नहीं की है। हाल ही में दोनों समूहों को उन्हें सरकारी मान्यता प्रदान करने के उनके दावों पर विचार के लिए संगत दस्तावेज विभाग को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया ।

(घ) और (ङ) : हालिया विगत में मंत्रालय को किसी न्यायालय से ऐसे कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

****